भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

10.03.2016 **को राज्य सभा में**

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 1446

नाभिकीय बीमा निकाय के निधीयन के लिए
संसाधनों को जुटाना

1446. **श्री हुसैन दलवई:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या मंत्रालय ने भारतीय नाभिकीय बीमा निकाय के निधीयन के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा लिए हैं;**

(ख) **यदि नहीं, तो इस निकाय में कितनी निधि की कमी है और मंत्रालय इस कमी को किस तरह पूरा करने का विचार रखता है;**

(ग) **दुर्घटना की स्थिति में परियोजना के मुख्य उपस्कर विक्रेता की क्या देयता होगी ; और**

(घ) **दुर्घटनाओं की स्थिति में परियोजना के कलपुर्जे आपूर्ति-कर्ता, विदेशी आपूर्तिकर्ता न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की क्या देयता होगी?**

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) **नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम, 2010 के तहत निर्धारित दायित्व को संरक्षण हेतु बीमा प्रदान करने के लिए मैसर्स जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी-आरई) ने, 12 जून, 2015 को, कई अन्य भारतीय बीमा कंपनियों के साथ 1500 करोड़ रूपए क्षमता वाला इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल (आईएनआईपी) आरंभ किया।**

(ख) **उपरोक्त (क) के मद्देजनर यह प्रश्न ही नहीं उठता।**

(ग) तथा (घ) **आपूर्तिकर्ता के दायित्व की सीमा, नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 की धारा 17 में निर्धारित किए गए अनुसार है, और इसकी व्याख्या नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व नियमावली, 2011 के नियम 24 में की गई है। नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 की धारा 6 (2) में बताए अनुसार, किसी नाभिकीय दुर्घटना के लिए न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रचालक के रूप में दायित्व 1500 करोड़ रूपए होगा।**

****